



राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: F1008(13-1)/Dohfw/sby/IEC/2016-17/595

दिनांक: 24/3/2016

स्वीकृति आदेश


भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निदेशालय की ओर से पत्रांक 1660 दिनांक 9.12.2015 के तहत एक-एक लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भुगतान हेतु प्रदेश के सभी जिलों को जारी की गई थी। इसी तरह पत्रांक 43 दिनांक 13.1.2016 के जरिये दोबारा एक-एक लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भुगतान हेतु सभी जिलों को बीएसबीवाई के प्रचार-प्रसार के बिलों के भुगतान हेतु जारी की गई थी।

जिलो द्वारा योजना की आईईसी पर खर्च के बाद न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास आईईसी मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत से जिलों में किये हुए कार्यों में से कुछ राशि का अथवा किये गए सम्पूर्ण कार्यों के बिलों का भुगतान नहीं हो सका। उक्त के संबंध में जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बकाया भुगतान हेतु मांगी गई राशि के लिये निम्न जिला स्वास्थ्य समिति को आईईसी मद में निम्नानुसार राशि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	जिला स्वास्थ्य समिति का नाम	कराये गये आईईसी कार्य की कुल राशि	शेष बकाया भुगतान की राशि
1.	भरतपुर	1,97,008	99,935
2.	सवाईमाधोपुर	1,97,366	1,97,366
3.	जोधपुर	1,93,239	93,600
4.	सिरोही	1,63,070	23,400
5.	जालौर	2,55,637	1,56,862
6.	बाड़मेर	1,98,500	99,800
7.	जैसलमेर	2,16,000	2,16,000
8.	हनुमानगढ़	1,98,961	1,10,871
9.	चूरु	29,205	29,205
10.	बूंदी	1,98,729	24,045
11.	राजसमंद	3,75,566	2,77,782
12.	डूंगरपुर	1,97,975	1,97,975
13.	दौसा	1,80,894	96,005
14.	प्रतापगढ़	1,98,767	1,00,751
15.	भीलवाड़ा	1,42,019	42,019
16.	बीकानेर	1,96,413	1,10,700
17.	चित्तौड़गढ़	93,870	93,800


18.	झुझुनु	1,97,400	1,97,400
19.	जयपुर-प्रथम	1,04,960	5,560
20.	अजमेर	1,70,923	94,923
21.	उदयपुर	2,05,510	5470
22.	नागौर	197984	99980
23.	बारा	200000	48,264
	योग		24,21,713

उक्त राशि का उपयोग जिलो में बीएसबीवाई की आईईसी पर पूर्व में कराये जा चुके कार्यों के बिलों के लंबित भुगतान पर ही नियमानुसार व्यय किया जाये। जिला श्रीगंगानगर, कोटा, झालावाड, टोंक और पाली से मिले विवरण और सूचना के आधार पर उक्त संबंध में कोई भी भुगतान की राशि बकाया नहीं है। नियमानुसार लंबित बिलो के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।


 (नवीन जैन)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग, राजस्थान
2. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर
3. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर
4. जिला कलक्टर, समस्त
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
6. जिला नोडल अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (प्रशासन), समस्त
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-भरतपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, सिरौही, जालौर, बाडमेर, जैसलमेर, हनुमानगढ, चुरू, बूंदी, राजसमंद, डूंगरपुर, दौसा, प्रतापगढ, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौडगढ, झुझुनु, जयपुर-प्रथम, अजमेर, उदयपुर, नागौर, बारां।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली व अलवर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त के संबंध में अलग से स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर, सीकर, जयपुर-द्वितीय व बांसवाडा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित खर्च एवं बकाया राशि की सूचना निदेशालय द्वारा भेजे गए फॉर्मेट में शीघ्र भिजवाये।
10. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, समस्त।
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला आईईसी समन्वयक, समस्त।
12. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी